

के-15016/61/2015-एससी-1

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 28 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्मार्ट शहर मिशन के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले राज्य स्तरीय विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के लिए मॉडल संगम-अनुच्छेद

अधोहस्ताक्षरी को स्मार्ट शहर मिशन मार्गनिर्देशों के पैरा 10 की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि स्मार्ट शहर विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंध और प्रचालन करने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित लिमिटेड कंपनी के रूप में राज्य स्तरीय विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) की स्थापना करना और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिसमें यूएलबी अवस्थित है, द्वारा इसका संवर्धन करना अपेक्षित है।

2. इस कंपनी के कार्यों का नियमन संगम-अनुच्छेदों (एओए) द्वारा किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट शहर मिशन मार्गनिर्देशों के अनुबंध 5 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित एसपीवी की संरचना और कार्यप्रणालियां शामिल होंगी। शहरों को उनके एओए तैयार करने में सहायता करने के लिए, अनेक हितधारकों के परामर्श से मंत्रालय ने एक मॉडल एओए तैयार किया है और इसे वेबसाइट (www.smartcities.in) पर रखा है। इसकी एक प्रति भी संलग्न है।

3. यह मॉडल एओए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/यूएलबी को स्थानीय अपेक्षाओं, प्रस्तुत स्मार्ट शहर प्रस्ताव, नियमों और प्रक्रियाओं आदि के आधार पर उनके स्वयं के एओए तैयार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु है। एओए की विवीक्षा प्रासंगिक राज्य सरकारी विभागों जैसेकि विधि आदि से भी होनी चाहिए।

4. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रतिस्पर्धा के चरण 2 (भाग 1) के परिणामों के आधार पर विजेता के रूप में चुने गए स्मार्ट शहरों में एसपीवी की स्थापना तत्काल कर सकते हैं। एसपीवी की स्थापना हो जाने के बाद, राज्य मिशन निदेशक को शहरी विकास मंत्रालय को इसकी सूचना देनी चाहिए ताकि वह स्मार्ट शहर मिशन के तहत पहली किस्त का दावा कर सके।

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार



(संजय शर्मा)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष सं.- 23062908

प्रति,

1. दौर 1 में जीतने वाले स्मार्ट सिटीज के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रधान सचिव।
2. दौर 1 में सभी जीतने वाले स्मार्ट सिटीज के आयुक्त।